

पत्रांक -वि० प्रा० (IV) यो०-24 / 2022
बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांक:-

विषय - विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत स्थापित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के सुचारु रूप से संचालन हेतु विभिन्न मद में होने वाले व्यय के लिए गैर-वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रु० 13,00,00,000.00 (तेरह करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में कुल रु० 4,59,00,000.00 (चार करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र, सहायक अनुदान, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने कुल सचिव, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के पत्रांक-400, दिनांक-12.05.2026 के द्वारा उपलब्ध कराये गये अध्यायना के आधार पर दिनांक-01.07.2026 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं दिनांक-15.07.2026 को आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय के विभिन्न मद यथा- विश्वविद्यालय परिसर का किराया, विद्युत आपूर्ति एवं लिफ्ट, बाह्य स्रोत से उपलब्ध मानव बल का वेतन, बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त कर्मियों का वेतन, वाहन किराया एवं संबंधित अन्य व्यय, लेखन सामग्री, स्टेशनरी, उपस्कर एवं अन्य व्यय, पी०एच०डी० वजीफा/छात्रवृत्ति, टेलीफोन, इण्टरनेट एवं अन्य संबंधित विपत्र, आयकर शुल्क, अंकेक्षण शुल्क, विधिक शुल्क एवं अन्य व्यवसायिक शुल्क, कार्यालय व्यय एवं विविध व्यय के लिए गैर-वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रु० 13,00,00,000.00 (तेरह करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में कुल रु० 4,59,00,000.00 (चार करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र, सहायक अनुदान, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के माँग संख्या-43 के अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष -00, लघु शीर्ष -102- तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष -0002- बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, के अधीन "31 06-सहायक अनुदान गैर-वेतन मद" विषय शीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43-2203001020002 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (त०), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना से की जायेगी।

5. राशि की निकासी एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली (संशोधन) 2024 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों, अनुदेशों एवं वित्तीय प्रावधानों के आलोक में की जाएगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के नाम से संचालित पी० एल० खाता सं०-PNBPLA010 के Ledger ID-17183 में अंतरित किया जाय।
7. उक्त विमुक्त अनुदानित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना द्वारा राज्य सरकार के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।
8. उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन 18 माह के भीतर अनिवार्य रूप से महालेखाकार से किया जाना आवश्यक है।
9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति (इस संचिका सं०-वि० प्रा० (IV) यो०-24/2022 के पृ०-129/टि०) से निर्गत किया जाता है।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/

(कुमार सिद्धार्थ)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या - वि० प्रा० (IV) यो०-24/2022

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार पटना/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक:-

ज्ञाप संख्या - वि० प्रा० (IV) यो०-24/2022

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक:-

ज्ञाप संख्या - वि० प्रा० (IV) यो०-24/2022

प्रतिलिपि:-कुलपति/कुलसचिव पदाधिकारी, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पूर्व में विमुक्त सहायक अनुदान के विरुद्ध लंबित उपयोगिता-प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि इसका सामंजन शीघ्र कराया जा सके।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या - वि० प्रा० (IV) यो०-24/2022 - 4573

/पटना, दिनांक:- 12.08.26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी/लेखा शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई०टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव